

प्रायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सिरे कंवा बनाम रामचन्द्र

रसम मुकदमा 251(A) 178/2018 मु. नं० 178 वर्ष 2018


दिनांक	आज्ञा पत्र	
--------	------------	--

9/10/23

पतावली पेंडा की एकीकृत उपपत्रा दायिमा एकीकृत प्राप्ति से एक आवेदन पुस्तिका मुद्रित करके एक आवेदन शाखा यात्री कार्ड नं० 13/21 वरुवानी उमेश केकेएल V/S रामचन्द्र सिंह प्रस्तुत किया हुआ है। शिकायत एवं जहाज एक पत्रांक से के कारण उक्त पत्रांक को इस पत्रांक के संलग्न किया गया। एकीकृत प्रमाणों को खोज करके है। आवेदन के रूपों का एवं पतावली का आवेदन किया गया। सभी रूपों से संतुष्ट होने पर आवेदन कीकाट किया जायगा। पत्रांक नं० 13/21 वरुवानी उमेश केकेएल V/S रामचन्द्र सिंह को इस पत्रांक के संलग्न किया जायगा। सभी पतावली को का निस्तारण एक जाय किया जावेगा।

शेकी पतावली के प्रकाश प्रमाण एवं अनुप्राप्त। मप एकीकृत उपस्थित शरीराना प्रेष किया जो वस्तुिक किया गया। एकीकृत आगपत्रा से शरीराना के अनुप्राप्त प्रमाणों के निस्तारण का निवेदन किया। पतावली का एवं शरीराना का अयत्नान किया गया। सभी रूपों से संतुष्ट होने पर प्राप्तिपत्र 251(A) के शेकी आवेदन कीकाट किए जायका शरीराना के अनुप्राप्त शाखा कारण किने जावे की शक्ति प्रमाण की जारी है। वस्तुिकता कीकाट की किनेरित किया जाय है। कि शरीराना के अनुप्राप्त शाखा आगपत्रा पर शाखा रिपोर्ट एवं नवरी से वस्तुिक की जावे। शरीराना आगपत्रा का भाग रहेगा। पत्रांक प्रेषित अनुप्राप्त होकर भयवत है कर दो शरीराना भयवत है। आवेदन काज है संलग्न है (उपपत्रा गद्य)

RTI अधिकारी



Kajal

मु.नं. 178/2018 के आवेदन पर RTI नं० 251(A)



गुरदास

सु. म. 23

श. गकराज

मि. ए. 7

प. ए. चानावत 5/10/2023

अ. न. 45/2018

एम-ए. 2

प. स. चानावत

उपखण्ड अधिकारी- सीकर